कोटेशन नोटिस
कार्यालय– जिला न्यायालय चित्रकूट।

पत्र संख्या–   दिनांक 12.07.2018

माननीय जनपद न्यायाधीध चित्रकूट के आदेश दिनांक 03.07.2018 अनुपालन में जिला न्यायालय चित्रकूट में प्रयोग हेतु 03 वाटर कूलर, एवं 06 आर.ओ. (वाटर प्यूरिफायर) को कय किये जाने हेतु कोटेशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमन्त्रित किये जाते है, उक्त वाटर कूलर एवं (वाटर प्यूरिफायर) किसी प्रतिष्ठित कम्पनी की होनी चाहिए। इच्छुक फर्म/संस्था, जरिये ई–मेल/डाक अथवा स्वयं दिनांक 28.07.2018 तक 4.00 बजे शाम तक कार्यालय में उपलब्ध कराये, जिसका ई–मेल, आई.डी. नम्बर dcchi@allahabad high court.In है। कोटेशन में कम्पनी का नाम, गुणवत्ता, वारण्टी व तकनीकी विशिष्टियों का भी पूर्ण विवरण स्पष्ट होना चाहिए तथा साथ ही कोटेशन देने वाली फर्म/संस्था को उक्त सामग्री को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय तक अपने व्यय पर पहुँचाकर स्थापित कराना होगा। कोटेशन देने वाली फर्म/संस्था कोटेशन देने से पूर्व वाटर कूलर व (वाटर प्यूरिफायर) स्थापित करने वाले चिन्हित स्थान को देख सकता है, एवं वाटर कूलर व (वाटर प्यूरिफायर) को स्थापित करने में आने वाले खर्च का व्यय अलग से नही किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश चित्रकूट को किसी भी कोटेशन को बिना आपत्ति के रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोटेशन दिनांक 28.07.2018 को 4.30 बजे शाम खोले जायेगें। समय अवधि के बाद आने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिलिपिः–

01–सदर नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
02–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड–1, कर्वी चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
03–तहसीलदार कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
04–अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु ।
05–अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
06–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07–कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं मुनादी हेतु। रक्षक पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।
8–प्रभारी नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय चित्रकूट के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

12.7.18

अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपसमिति,
जिला न्यायालय, चित्रकूट।